सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–218/2025 दर्ज तिथि:–06.11.2025

1. कमला देवी पत्नी सोहनलाल
   जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना
2. रामूराम पुत्र कानाराम
   जाति मेघवाल निवासी जूना लखवारा, तहसील चौहटन जिला बाडमेर।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र शंकरराम
   जाति विश्नोई निवासी कावों की बेरी लूखू तहसील धोरीमना
2. रूखमणी पत्नी जगमालराम
   जाति विश्नोई निवासी मुसलमानों की ढाणी,भलीसर तहसील धोरीमना
3. रूमा पत्नी दूदाराम
   जाति जाट निवासी रामपुरा अरणीयाली तहसील धोरीमना
4. रेखाराम पुत्र चूनाराम
   जाति जाट निवासी डेर भीमथल तहसील धोरीमना
5. धारूराम पुत्र गंगाराम
   जाति मेघवाल निवासी गोलिया हाल धोरीमना
6. अणसी पत्नी टीकमाराम
7. इन्द्रा पत्नी गुणेशाराम
8. जोगाराम पुत्र टीकमाराम
9. थानाराम पुत्र टीकमाराम
10. निम्बाराम पुत्र टीकमाराम
11. बादराराम पुत्र तुलछाराम
12. भींयाराम पुत्र टीकमाराम
13. मोहन पुत्र टीकमाराम
14. रवाराम पुत्र तगाराम
15. शंकरराम पुत्र रायचन्द
    जाति मेघवाल निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना
16. प्रभुराम पुत्र कालूराम
    जाति विश्नोई निवासी सुभाष नगर धोरीमना
17. इमिया पत्नी सुजाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:11 IST
Reason: SelfAttested

जाति मेघवाल निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना
18. उतमाराम पुत्र कोजाराम
19. केसरसिंह पुत्र सुजाराम
20. प्रेमसिंह पुत्र सुजाराम
21. चिमाराम पुत्र जगराम
जाति मेघवाल निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

................असल अप्रार्थीगण

22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

..................तकमील अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:-श्री भाखराराम गोदारा
अप्रार्थीगण:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-111,128
राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-28.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधि-1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीयागण की हाल आराजी खसरा संख्या 482/1 रकबा 0.5261 है0 किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीयागण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीयागण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीयागण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना-पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश भू.अ./2024/सीमाज्ञान/202 दिनांक 18.10.2024 की पालना में दिनांक 22.09.2025 को खसरा संख्या 482/1 रकबा 0.5261 है0 किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु पहूंचे लेकिन मौके पर विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीयागण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीयागण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी [illegible] प्रार्थना-पत्र प्रार्थीयागण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:11 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 4 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 01 से 3 तथा 5 से 21 के नोटिस विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीयागण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 22.09.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने पर आपति जाहिर की।

4. मैंने बहस प्रार्थीयागण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थन भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—(1)** In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा ... तहत प्रावधान बनाये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

> ***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेज़ात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीयागण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 22.09.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीया साबित है कि प्रार्थीयागण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीयागण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश ज़ारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना-पत्र प्रार्थीयागण अंतर्गत धारा-111,128 भू-राजस्व अधिनियम-1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 482/1 रकबा 0.5261 है0 किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम धोरीमना पटवार हल्का धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना पर प्रार्थीयागण एवं संबंधित पक्षकारों/ हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। उक्त आराजी पर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करते समय कब्जे के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:11 IST
Reason: SelfAttested

केवल सीमाचिन्ह के अभाव में होने वाले विवाद में ही नक्शे के अनुसार आदेश की पालना की जावें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमना को भिजवाया जाकर आदेश है कि इस आदेश की पालना अपील अवधि के पश्चात की जावे तथा राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए की जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.04.2026 को लिखवाया जाकर संरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:11 IST
Reason: SelfAttested